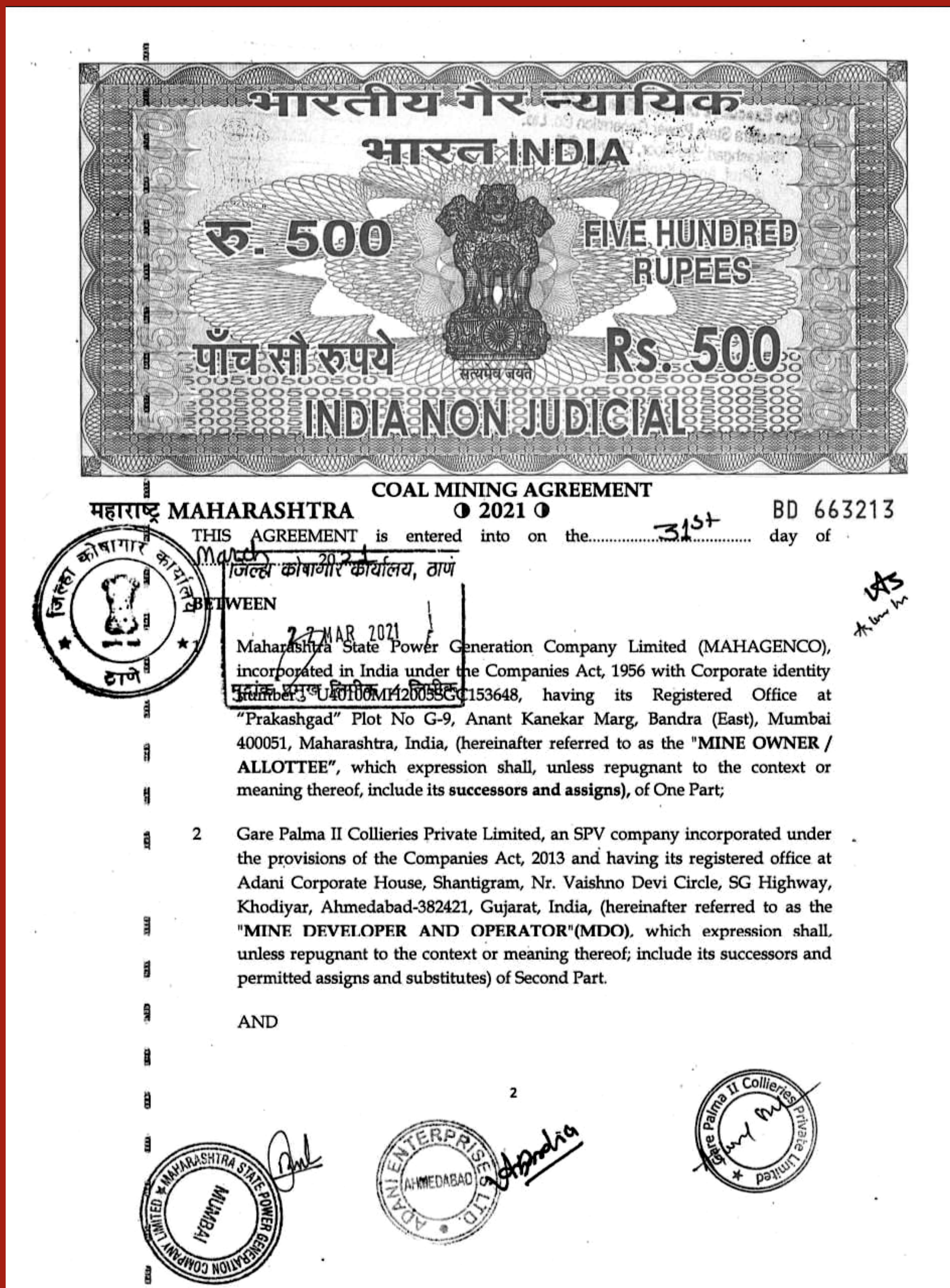

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

COAL MINING AGREEMENT

महाराष्ट्र MAHARASHTRA ◑ 2021 ◑ BD 663213

THIS AGREEMENT is entered into on the ......31st...... day of March 2021

जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे

22 MAR 2021

BETWEEN

1 Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO), incorporated in India under the Companies Act, 1956 with Corporate identity number U40100MH2005SGC153648, having its Registered Office at "Prakashgad" Plot No G-9, Anant Kanekar Marg, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra, India, (hereinafter referred to as the **"MINE OWNER / ALLOTTEE"**, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its **successors and assigns)**, of One Part;

2 Gare Palma II Collieries Private Limited, an SPV company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and having its registered office at Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishno Devi Circle, SG Highway, Khodiyar, Ahmedabad-382421, Gujarat, India, (hereinafter referred to as the **"MINE DEVELOPER AND OPERATOR"(MDO)**, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof; include its successors and permitted assigns and substitutes) of Second Part.

AND

2

MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED MUMBAI

ADANI ENTERPRISES LTD. AHMEDABAD

Gare Palma II Collieries Private Limited

31.03.2021

ओपन कास्ट गारे पेलमा सेक्टर-II, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड जिला रायगढ़, (छ.ग.)

(कोयला खदान के विकास एवं माइन डिवेलपर एंड ऑपरेटर (MDO) के संचालन हेतु समझौता)

कांग्रेस सरकार

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–26/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 /04/2022

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग,
अलीगंज रोड, नई दिल्ली –110003 ।

विषय :– Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Gare Palma Sector -II Coal Block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) Coal block is located in the Mand Raigarh coalfield of Raigarh district, Chhattisgarh area – 214.869 ha. - regarding.

संदर्भ:– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–245/2593, दिनांक 20.10.2021 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–245/362, दिनांक 24.02.2022 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवेदक विभाग का मांग पत्र–
आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर द्वारा रायगढ़ वनमंडल के गारे पेलमा सेक्टर II खुली कोयला खदान उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 214.869 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म A भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है –
<table><tr><th>संरक्षित वन</th><th>आरक्षित वन</th><th>राजस्व वन भूमि</th><th>योग रकबा</th></tr><tr><td>99.735 हे.</td><td>–</td><td>115.134 हे.</td><td>214.869 हे.</td></tr></table></td><td>1 – 8</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –
वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/MIN/20495/2016 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.02.2018 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 58,000/– जमा कराये गये हैं।</td><td>9</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वन क्षेत्र का विवरण –
व्यपवर्तन हेतु आवेदित 214.869 हे. वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित है।</td><td>31–36</td></tr>
<tr><td>4</td><td>गैर वनक्षेत्र का विवरण –
गैर वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>37–38</td></tr>
</table>

क्रमश : 2

DFCA/ Letter-N/Lalit

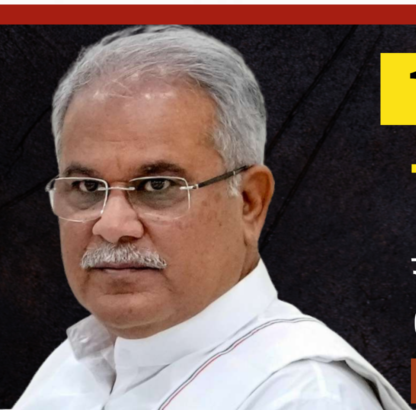

19.04.2022

वन स्वीकृति की सिफारिश

राज्य सरकार द्वारा स्टेज-1 वन स्वीकृति (Forest Clearance) की सिफारिश की गई।

कांग्रेस सरकार

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S. No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड, नागपुर को रायगढ़ वनमंडल के गारे पेलमा सेक्टर II खुली कोयला खदान उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 214.869 हे. वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग 4 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :– 1. खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े। 2. इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े। 3. सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फेसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके। 4. वन्यप्राणी हाथी के प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानों का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए। 5. आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के शर्तों के पालन की मानीटरिंग के लिये वन विभाग को एक नवीन वाहन उपलब्ध करायेगा।

Signature

Date : 19 -04-2022

Place : Raipur

19/04/22

Name - Prem Kumar

Designation - Secretary, C.G. Govt. Forest & Climate Change Department

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–26 / 2021 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / 01 / 2023

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली – 110003 ।

विषय:– Proposal for non-forestry use of 214.869 ha of forest land in favour of M/s Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) for Gare Pelma Sector-II Opencast Coal Mining Project in the Mand Raigarh Coalfield, in District Raigarh (Chhattisgarh) -reg.

संदर्भ:–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-60/2022-FC, दिनांक 02.06.2022 ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–245/3063, दिनांक 28.12.2022 ।

******

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–26 / 2021 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 01 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ ।
4. Executive Engineer (Addle) (Coal), महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा, कोल माईन्स, सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर –440013।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

23.1.23
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

4431

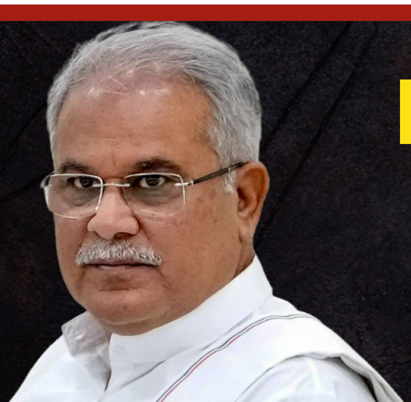

23.01.2023

वन स्वीकृति की सिफारिश

राज्य सरकार द्वारा स्टेज-2 वन स्वीकृति (Forest Clearance) की सिफारिश की गई।

कांग्रेस सरकार

10.06.2019

Dr. B.D. Kalla
Minister
PHED, GWD, Energy, Art,
Literature, Culture &
Archaeology Department
Government of Rajasthan

सत्यमेव जयते

Room No. 2114, First Floor,
Main Building, Govt. Secretariat
Jaipur-302005 (Raj.)
Phone : 0141-2227062 (Office)
E-mail : ministerbdk@gmail.com

DO No.F.12(25)Energy/2004/1526
June 10, 2019

Most Respected Sh. Bhupesh Bagheljі,

With the objective to ensure energy security for the State of Rajasthan, Ministry of Coal allocated three coal blocks to Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RVUN) for meeting the coal requirement of its thermal power stations. These coal blocks namely "Parsa East & Kanta Basan (PEKB)", "Parsa" and "Kente Extension" are located in Hasdeo Arand Coalfield, Chhattisgarh.

I have been informed that "PEKB" coal block has achieved peak rated capacity of 15 MTPA and presently fulfills about 75% of the coal requirement of RVUN Power Stations. Presently, the "Parsa" and "Kente Extension" coal blocks are under development phase and require various approvals to start its operations within the stipulated timelines and are essential to ensure fuel security for the State of Rajasthan.

I shall be grateful if you kindly appoint a Nodal Officer to facilitate smooth operations of "PEKB" and expedite the clearances for "Parsa" and "Kente Extension" coal blocks to start their coal mining operations within the stipulated timeline.

With kind regards!

Yours Sincerely,

(B.D. Kalla)

Sh. Bhupesh Baghel
Chief Minister,
Government of Chhattisgarh,
Chhattisgarh

Scanned by CamScanner

तत्कालीन मुख्यमंत्री (राजस्थान) अशोक गहलोत एवं उनकी सरकार द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे गए पत्र

15.11.2021

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते

8, सिविल लाइन्स, जयपुर-302006
दूरभाष : 0141-2228712-13
फैक्स : 2228705

अ.शा. पत्र क्र: मु.म./ऊर्जा /21/114359
जयपुर, दिनांक: 15-11-2021

प्रिय श्री भूपेश बघेल जी,

कृपया मेरे द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ लें। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के उपक्रम ''राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड'' को विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं।

उल्लेखनीय है कि ''परसा'' कोल ब्लॉक (क्षमता–5 एमटीपीए) का आवंटन हसदेव–अरंद कोलफिल्ड क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुआ। इसकी द्वितीय चरण की वन स्वीकृति (Forest Clearance Stage-II) हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी कर दी गई है। इस सन्दर्भ में दिनांक 02 नवम्बर, 2021 को उपायुक्त सहायक कोयला नियंत्रक द्वारा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की परसा ओपनकास्ट कोयला खदान में सीम IV खोलने की अनुमति प्राप्त हुई है। इस कोल ब्लॉक से खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निम्न स्वीकृतियां प्राप्त होना शेष हैं:–

(i) वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा द्वितीय चरण की वन स्वीकृति (Forest Clearance Stage-II)।
(ii) संभागीय वन अधिकारी (DFO), सूरजपुर द्वारा वृक्ष गणना।
(iii) जिलाधिकारी सरगुजा एवं सूरजपुर द्वारा संपत्ति सत्यापन और प्रमाणन।
(iv) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (CECB) द्वारा संचालन हेतु सहमति।

इसके अतिरिक्त ''केंटे एक्सटेंशन'' कोल ब्लॉक (क्षमता–9 एमटीपीए) का आवंटन वर्ष 2015 में हुआ। इस कोल ब्लॉक हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवश्यक ''जनसुनवाई'' जिला अधिकारी, सरगुजा द्वारा दो बार स्थगित की जा चुकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि :--

(i) परसा कोल ब्लॉक हेतु द्वितीय चरण की वन स्वीकृति (Forest Clearance Stage-II) सहित विभिन्न स्वीकृतियां शीघ्र जारी करवाने का श्रम करें।

(ii) ''केंटे एक्सटेंशन'' कोल ब्लॉक हेतु आवश्यक जनसुनवाई शीघ्र आयोजित करने के लिए जिला अधिकारी, सरगुजा को निर्देशित करने का श्रम करें।

सद्भावी,

(अशोक गहलोत)

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

15.02.2022

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते

8, सिविल लाइन्स, जयपुर-302006
दूरभाष : 0141-2228712-13
फैक्स : 2228705

अ.शा. पत्र क्र: मु.म./ऊर्जा /22/116470
जयपुर, दिनांक: 15.02.2022

प्रिय श्री भूपेश बघेल जी,

मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक के सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के उपक्रम "राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम" को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में "परसा ईस्ट एवं कांता बासन" कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। वर्तमान में उत्पादन निगम की 4340 मेगावाट तापीय विद्युतगृहों को कोयले की आपूर्ति इसी कोल ब्लॉक द्वारा हो रही है।

"परसा ईस्ट एवं कांता बासन" (क्षमता – 10 एमटीपीए) कोल ब्लॉक वर्ष 2007 में आवंटित हुआ। आवश्यक स्वीकृतियां मय प्रथम चरण वन भूमि (Phase-I Forest land) 762 हैक्टेयर 15 वर्ष खनन हेतु हस्तांतरण के उपरांत इस कोल ब्लॉक से वर्ष 2013 में खनन प्रारंभ हुआ। तदोपरांत वर्ष 2018 में इस कोल ब्लॉक की क्षमता 10 एमटीपीए से 15 एमटीपीए की गई एवं वर्ष 2018 से पूर्ण क्षमता पर खनन निरंतर जारी है। वर्तमान में इस कोल ब्लॉक के प्रथम चरण 762 हैक्टेयर वनभूमि का अत्यंत अल्प हिस्सा ही खनन योग्य शेष है एवं फरवरी, 2022 उपरांत इस कोल ब्लॉक से कोयला खनन बंद होने की संभावना है। ऐसा होने पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की इस कोल ब्लॉक से जुड़ी हुई 4340 मेगावॉट क्षमता की इकाइयों से विद्युत उत्पादन बंद हो जाएगा एवं राज्य को विकट बिजली संकट से गुजरना पड़ेगा। इस संभावित कोयला संकट सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

आवश्यकताओं को पूर्व में ही भांपते हुए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 1136 हैक्टेयर द्वितीय चरण वनभूमि (Phase-II Forest land) के हस्तांतरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 24 सितम्बर 2019 को आवेदन किया एवं छत्तीसगढ़ शासन ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2021 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को इस हेतु अपनी अनुशंषा प्रेषित की। इसी क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 02 फरवरी, 2022 को परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक की 1136 हैक्टेयर द्वितीय चरण वनभूमि (Phase-II Forest land) पर खनन कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रेषित की जा चुकी है। इस ब्लॉक की उपरोक्त वर्णित वनभूमि से खनन प्रारंभ करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्निलिखित स्वीकृतियां अविलम्ब प्राप्त होना अपेक्षित है :–

i. 1136 हेक्टेयर द्वितीय चरण वन भूमि (Phase-II Forest land) से खनन हेतु वनभूमि का कब्जा प्रदान करने की स्वीकृति।